

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-87ए/2014

संस्थापन दिनांक-10.09.2014

फाईलिंग क्र.234503006392014

अब्दुल रहमान पिता अब्दुल समद खान, उम्र-62 वर्ष, जाति मुसलमान
निवासी-वार्ड नंबर 11 बस्ती रोड बैहर, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **वादी**

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **प्रतिवादी**

-: / / निर्णय / / :-

(आज दिनांक-29/10/2015 को घोषित)

1- वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा बैहर, प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 621/1, रकबा 0.25 डिसमिल भूमि में से 0.15 डिसमिल भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर स्थित मकान, कुंआ व हाताबाड़ी पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि आबादी मद की भूमि है।

3- वादी के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पर वादी के पूर्वजों का लगभग 80-90 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में वादी के पूर्वजों के समय से बना हुआ, दो मकान, कुंआ और एक कच्चा शौचालय स्थित है। वादी को उक्त भूमि का पट्टा वर्ष 1998 में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया है। वादी का नाम उक्त विवादित भूमि के

राजस्व प्रलेख के कॉलम में भी वर्ष 1996-97 से दर्ज है और वह उक्त भूमि व उस पर बने मकान पर शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से निवास कर उसका टैक्स आदि पटा रहा है। वादी ने राजस्व न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर विवादित भूमि का स्थल निरीक्षण कराया है, जिसमें राजस्व निरीक्षक ने वादी के कब्जे में होने की पुष्टि की है। दिनांक-03.05.2014 को म.प्र. शासन के अधिनस्थ अधिकारी ने वादी के द्वारा तैयार बाउन्ड्रीवॉल को तुड़वा दिया है। वादी ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी ने लिखित कथन पेश कर वादी के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादी ने विवादित भूमि में से 0.059 हेक्टेअर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान व हाताबाड़ी का निर्माण किया है। वादी को उक्त भूमि का पट्टा दिये जाने का उल्लेख राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। वादी ने शासकीय भूमि को हड़प करने के आशय से यह वाद पेश किया है। अतएव वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी मौजा बैहर, प.ह.नं. 17/1, रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 621/1, रकबा 0.25 डिसमिल भूमि में से 0.15 डिसमिल भूमि में स्थित मकान, कुआ, हाताबाड़ी पर 80-90 साल से लगातार शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से प्रतिवादी की जानकारी में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर वादी के विधिपूर्ण व स्थापित आधिपत्य में प्रतिवादी के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—**वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

6— यह साबित करने का भार वादी पर है कि वह विवादित शासकीय विवादित भूमि पर खुले रूप से लगातार 30 वर्ष से अधिक समय से, अबाध, शांतिपूर्ण प्रतिवादी की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए आधिपत्य में चला आ रहा है। वादी ने अपने पक्षसमर्थन में ग्राम पंचायत द्वारा कर अदायगी की रसीद एवं नगरपालिका परिषद बैहर, की भवन कर एवं रोशनी कर की रसीद प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-22 पेश की है, जिसमें वादी रहमान का नाम लेख है। उक्त रसीदें किस मकान की हैं, इस संबंध में उक्त दस्तावेजों में इन्द्राज नहीं है। वादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर, के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-23 आबादी भूमि के पट्टा के संबंध में जांच प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-24, स्थल पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-25 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी के द्वारा आबादी भूमि वाली विवादित भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रकरण पेश किया है, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन पेश किया गया है।

7— वादी ने उक्त दस्तावेजों के अलावा विवादित भूमि वाली आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-26 पेश की है। वाद प्रस्तुति के पूर्व अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित धारा-80 व्य.प्र.सं. का नोटिस की प्रति प्रदर्श पी-27 व उसकी रजिस्ट्री की रसीद प्रदर्श पी-28 व प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदर्श पी-29 पेश है। उक्त नोटिस का प्रतिवादी की ओर से जवाब की प्रति प्रदर्श पी-30 है।

8— वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अपने पक्षसमर्थन में स्वयं अब्दुल रहमान (वा.सा.1), साक्षी मजीद खान (वा.सा.2) एवं उस्मान खान (वा.सा.3) के कथन कराए गए हैं। अब्दुल रहमान (वा.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है, जिसमें उसका तथा उसके पूर्वजों का मकान व हाताबाड़ी बनाकर कब्जा किया जाना दर्शित है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रकरण में प्रस्तुत टैक्स की रसीदों

में यह कहीं लेख नहीं है कि किस भू-खण्ड व मकान की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह विवादित भूमि में स्थित अपनी भूमि की चर्तुसीमा नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि शासकीय भूमि को हड़पने के आशय से उसके द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है।

9— वादी साक्षी मजीद (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वादी ने जिस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण किया था, उसे शासन ने हटा दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार उस्मान खान (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में वादी के द्वारा जानकारी देने पर कथन किये हैं तथा विवादित भूमि के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने भी यह स्वीकार किया कि वादी ने जो बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण किया था, उसे तहसीलदार के आदेश से तोड़ दिया गया है। इस प्रकार उक्त वादी साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित शासकीय भूमि पर बाउन्ड्रीवॉल बनाकर वादी ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, जिसे तहसीलदार के द्वारा तुड़वाकर रिक्त किया गया है।

10— प्रतिवादी ने पक्षसमर्थन में तहसीलदार बैहर, अजीत तिर्की (प्र.सा.1) के कथन कराए हैं, जिसने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वादी का कब्जा शासकीय भूमि पर अतिक्रामक के रूप में है। वादी को राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत भूमि प्रदान किये जाने के संबंध में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं है। वादी के द्वारा शासकीय भूमि का पट्टा प्राप्त किये जाने के संबंध में तहसील न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वादी के पूर्वज विगत 80—90 साल से विवादित भूमि पर काबिज है। साक्षी ने उक्त अवधि से वादी का कब्जा होने से भी इंकार किया है।

11— वादी ने अभिवचन के अनुसार अपनी साक्ष्य में स्वयं को विवादित भूमि के 80—90 वर्ष से निरन्तर काबिज होने के कथन किये हैं, किन्तु उक्त के

संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में अनुमानित रूप से विवादित भूमि पर काबिज होने के संबंध में समयावधि व्यक्त की है, जो कि प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य के परिशीलन उपरान्त यह प्रकट होता है कि कब्जे की समयावधि मनगढ़ंत एवं काल्पनिक रूप से व्यक्त की गई है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये की वादी उसके बताये अनुसार विवादित भूमि के भू-भाग पर काबिज है, तब भी उक्त कब्जे को विरोधी आधिपत्य के रूप में स्थापित होने के लिये उसे विधिक उपबंध के प्रकाश में साबित किया जाना आवश्यक है।

12— वादी ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य होने के संबंध में कब और कैसे वाद कारण उत्पन्न हुआ, इसका वादी ने स्पष्ट अभिवचन कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायदृष्टान्त कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ विरुद्ध गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य (2004) 10 एस.सी.सी.779 में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य में न केवल विधि का अंतर्निहित प्रश्न है, बल्कि यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जो व्यक्ति विरोधी आधिपत्य का दावा करता है, उसे दिखाना होगा कि (अ) वह किस दिनांक को कब्जे में आया था, (ब) वह किस प्रकार काबिज है, (स) कब्जे के बाद उसकी जानकारी दूसरे पक्ष को कब हुई, (द) उसका कब्जा कितने समय से लगातार है, और (इ) उसका कब्जा खुले रूप से निर्बाध रहा है। विरोधी आधिपत्य का अभिवचन करने वाला व्यक्ति विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मांग साम्या के रूप में नहीं कर सकता। वह सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के अधिकार का हनन करने का प्रयत्न करता है। उक्त के प्रकाश में वादी ने अभिवचन में कथित विरोधी आधिपत्य के संबंध में वाद कारण स्पष्ट नहीं किया है।

13— प्रकरण में वादी की मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी ने किस दिनांक व समय में विवादित भूमि को प्रतिवादी के विरुद्ध किस कृत्य एवं घटना से विरोधी आधिपत्य के रूप में कब्जा प्राप्त किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य से केवल यह प्रकट होता है कि वादी शासकीय विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर काबिज है, किन्तु वादी का विवादित भूमि पर प्रतिवादी के प्रतिकूल

आशय से या विरोधी आधिपत्य के आधार पर कब्जा चला आ रहा है, इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है।

14— परिसीमा अधिनियम 1963 के सुसंगत प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के लिए जो पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर हो और हक के आधार पर न हो, जबकि वादी सम्पत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए विहित परिसीमा काल 12 वर्ष दी गई है। शासकीय सम्पत्ति के ऐसे किसी हित के कब्जे के लिए विहित परिसीमा काल 30 वर्ष है। विधि द्वारा निर्धारित समय अवधि 12 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक वास्तविक स्वामी के विरुद्ध तथा शासकीय भूमि पर 30 वर्ष से अधिक अवधि तक सरकार के विरुद्ध निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रतिकूल कब्जा से विरोधी आधिपत्यधारी अपना हक अर्जित कर लेता है। यद्यपि विधायिका की मंशा यह प्रतीत होती है कि उक्त विधिक उपबन्ध व कालावधि केवल प्रतिवादी के लिए अपने कब्जे व हित को संरक्षित रखने व बचाव पेश करने के लिए प्रदत्त की गई है, न कि वादी को उक्त विहित कालावधि से वाद प्रस्तुति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त करने की। न्यायदृष्टांत—**Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala, (2014) 1 SCC 669** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा अनुमत योग्य नहीं है, बल्कि विरोधी आधिपत्य को ढाल या बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि दावाकर्ता को उसका विरोधी आधिपत्य पाये जाने पर भी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वादी का वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

15— वादी की ओर से न्यायदृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम.पी विरुद्ध राधिका प्रसाद (मृत) द्वारा वारसानगण 2012 रा.नि. 371** में माननीय उच्च न्यायालय ने म.प्र. भू-राजस्व अधिनियम 1917 के प्रवृत्त होने के पूर्व से आबादी भूमि में कब्जा रखने वाले व्यक्ति को अतिक्रामक नहीं माना गया है,

जबकि इस मामले में वादी ने विवादित शासकीय भूमि में लंबे समय से आधिपत्य में होने का कोई प्रमाण नहीं किया है, बल्कि वादी शासकीय भूमि पर अतिक्रामक के रूप में काबिज होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16— प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **देवेन्द्र कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014 रा.नि. 18**, माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी का शासकीय भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होने के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार की घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में ऐसा लम्बा अविच्छिन्न कब्जा होना साबित नहीं है और न ही कब्जे के स्रोत का अभिवचन है। ऐसी शासकीय भूमि पर अतिक्रामक के रूप में किये गए कब्जे वाले भू-भाग को सिविल न्यायालय द्वारा आवंटित नहीं किया जा सकता है।

17— उक्त के प्रकाश में वादी को विवादित भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में शासन के द्वारा वादी को अतिक्रमणकारी मानते हुए विधिवत कार्यवाही कर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्माण की गई बाउन्ड्रीवॉल को तोड़ा गया है, ऐसी दशा में वादी का उक्त दाण्डिक कृत्य अचानक विधिपूर्ण स्वत्व के रूप में परिवर्तित होना तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। वादी ने स्वच्छ हाथों से यह वाद पेश नहीं किया है। वादी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उसका शासकीय विवादित भूमि पर खुले रूप से लगातार 30 वर्ष से अधिक समय से, अबाध, शांतिपूर्ण प्रतिवादी की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए आधिपत्य चला आ रहा है। वादी ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से विवादित भूमि पर अपना विरोधी आधिपत्य का दावा साबित नहीं किया है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक 1 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्र. 2 का निराकरण

18— वादी का शासकीय विवादित भूमि पर अतिक्रामक के रूप में आधिपत्य होना प्रकट होता है तथा उक्त के संबंध में प्रतिवादी के द्वारा उसके विरुद्ध विधिवत् कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। वास्तव में का ऐसा आधिपत्य विधिपूर्ण नहीं माना जा सकता है और न ही ऐसे आधिपत्य को संरक्षण

प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **देवेन्द्र कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014 रा.नि. 18**, में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अतिक्रामक के पक्ष में अथवा अप्राधिकृत कब्जा संरक्षित करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। वादी ने यह प्रकट नहीं किया है कि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से की जाने वाली कार्यवाही अवैध या विधि विरुद्ध है। वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी विवादित भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप कर रहा है। इस कारण प्रतिवादी के विरुद्ध वादी को स्थायी निषेधाज्ञा पाने की पात्रता नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक- 2 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय :-

19— वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद अस्वीकार कर निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है:-

1. वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
2. वादी स्वयं के साथ प्रतिवादी का भी वाद व्यय वहन करेगा तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होंगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञा तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर